संख्या-634/2016/1970/69-1-16-16(बजट)/2013

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 05 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ की निकाय फैजुल्लागंज की 01 परियोजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11032/77/2016-आरएवाई(एफटीएस-14668) दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा जारी केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर आपके पत्र संख्या-2567/76/एक/आर.ए.वाई/. 2013-14, दिनांक 31 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ की निकाय फैजुल्लागंज की 468 आवासों (टाइप-ए के 247 आवास व टाइप-बी के 29 आवास व अस्थाई ट्रांजिट हाऊस-192) के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 163 पूर्ण आवासों (टाईप-ए के 134 आवास, प्रति आवास लागत 403563.00 व टाइप-बी के 29 आवास, प्रति आवास लागत रू0 368056.00 व अस्थाई ट्रांजिट हाऊस-192) की 01 परियोजना, जिसकी कुल परियोजना लागत रू0 1628.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-289/69-1-13-16(बजट)/2013 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) की धनराशि रू0 595.23 (रू0 पॉच करोड़ पन्चानबे लाख तेईस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद/ परियोजना/कुल आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	कुल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के आवासों की परियोजना लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में अवस्थापना सुविधा व अन्य चार्जेज सहित स्वीकृत की जा रही धनराशि। (केन्द्रांश व राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ-फैजुल्लागंज 468 आवास (टाईप-ए-247 आवास, टाईप-बी-29 आवास व अस्थाई ट्रांजिट हाउस-192)	163 पूर्ण आवास(टाईप-ए-134 व टाईप-बी-29 आवास एवं अस्थाई ट्रांजिट हाउस-192)	2292.79	1628.00	595.23
	योग		2292.79	1628.00	595.23

क्रमशः.........2

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
3. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
4. उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण ईकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
9. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
10. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

11. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेगें। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
13. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
16. स्वीकृति धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800—अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राजीव आवास योजना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-634/2016/1970(1)/69-1-16-16(बजट)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in